

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

के तौर पर कोर्ट को सूचित की जाती है
आठ वकीलों द्वारा कोर्ट को सूचित किया गया है
कोर्ट को सूचित करने के पश्चात् दिनांक
२७/५/२० को जेज की

२७/५/२०

कोरोना के कारण
कोर्ट कार्य स्थगित करने से पचासवीं आयुष्म दिनांक
२७/५/२० को पंच हो

२८/५/२०

कोरोना के कारण
कोर्ट कार्य स्थगित करने से पचासवीं आयुष्म दिनांक
२९/५/२० को पंच हो

११/६/२०

वकील प्रार्थी के द्वारा जज को सूचित किया गया है
रखरि कर के जेज करने के पश्चात् आठ जेज हुई

वकील प्रार्थी के द्वारा जेज कि उक्त
अंगत की पश्चात् दिनांक २७/५/२० को निपट है परन्तु
प्रार्थी की अब उक्त प्रार्थी के कोर्ट अडवोकेट की
आवश्यकता नहीं है उक्त उक्त प्रार्थी के मन को
जलाश नहीं जा रहा है इसलिए उक्त उक्त की
कोर्ट की नतन कर जारी विज्ञापन रखरि कराने
प्रार्थी को सूचित किया है

अतः प्रार्थी को जज जारी विज्ञापन रखरि
कि जज की पश्चात् कोर्ट कोर्ट कोर्ट
जम्बर के कर है बाकि लकील जज वारिज
दकर लेरल प्रार्थी को सूचित किया है

